न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 37 / 2020

प्रवेश तिथि 08.09.2020

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दयानन्द शर्मा, निवासी 5 क – 28, शिवाजी पार्क, अलवर (राज0) 301001		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13.10.2020

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने उक्त अधिनियम अंतर्गत आवेदन–पत्र दिनांकः 16.07.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर 9 बिन्दूओं पर सूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। उक्त वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 03.09.2020 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब कर न्यायालय में जवाब नोटिस के साथ दिनांकः 15.09.2020 को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। समयान्तर में जवाब प्राप्त नहीं होने पर बार–बार नोटिस जारी कर प्रत्यर्थी को तलब किया गया किन्तु प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आदिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

16.07.2020 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी/विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत कराया गया अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार-बार जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है।

7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
8. प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 16.07.2020 के अनुसार उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 10 दिवस में अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध वांछित सूचनाएं नियमानुसार स्पष्ट रूप से अभिप्रमाणित कर निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जावे।
9. यहॉ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की कठोरता, समयबद्धता से पालना के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)